राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	552 / 2024	लालाराम यादव	1. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 2. जिला कलेक्टर, ब्यावर। 3. श्री हनुत सिंह रावत, तहसीलदार, अराई, जिला अजमेर। 4. शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2.	1370 / 2024		1. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 2. जिला कलेक्टर, ब्यावर।

आदेश की दिनांक : 05.04.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनियां, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. ये दोनों अपीलें एक ही अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरण आदेशों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही कार्मिक के स्थानान्तरण से सम्बन्धित है। ऐसे में दोनों अपीलों का निस्तारण इस समान आदेश से किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 552 / 2024 में अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी जो तहसीलदार ब्यावर के पद पर कार्यरत था उनका स्थानान्तरण तहसीलदार, बागीदौरा जिला बांसवाडा में किया गया। उक्त आदेश में अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का कार्य ग्रहण के मात्र साढे तीन माह की अल्पावधि में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया और अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को समंजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपील संख्या 552 / 2024 में इस अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2024 पारित कर अपीलार्थी के स्थानान्तरण की हद तक आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये थे।
3. अपील संख्या 1370 / 2024 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपील संख्या 552 / 2024 में अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक

07.03.2024 पारित होने के पश्चात अपीलार्थी तहसीलदार ब्यावर के पद पर ही कार्यरत है और अपील संख्या 552/2024 के लम्बित रहने के दौरान और स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार, ब्यावर से तहसीलदार, परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन किया गया है। अपील संख्या 1370/2024 में अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि पूर्व में अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 17 दिवस बाद ही किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिताजी गंभीर हृदय रोग से पीड़ित है तथा वर्तमान में अपीलार्थी के बड़े भाई को किडनी डिसीज होने के कारण पिताजी मानसिक रूप से अवसाद में आ गये हैं, जिससे उनका इलाज मनोरोग चिकित्सक डॉ० श्री अनिल ताम्बी का चल रहा है, जिनको हर 15 दिन में चिकित्सक के पास लेकर जाना पड़ता है तथा उनका मानसिक स्वास्थय कभी भी बिगड़ सकता है। जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।

5. पूर्व में जो आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ब्यावर से तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाडा किया गया है, उसे इस अधिकरण द्वारा इस आधार पर स्थगित रखा गया था कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण ब्यावर में पदस्थापित होने के बाद अल्प समय में किया गया है। आदेश दिनांक 22.02.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आदेश लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्यहित में प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी के सम्बन्ध में पुनः एक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.03.2024 जारी किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण तहसीलदार परबतसर, जिला डीडवाना–कुचामन किया गया है। आदेश दिनांक 10.03.2024 के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह स्थानान्तरण आदेश लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्यहित में प्रशासनिक कारणों से किया गया है। वर्तमान में लोकसभा चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किये जाने से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह भी पाते है कि नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान

पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

6. परिणामस्वरूप हम उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त दोनों अपीलें खारिज की जाती है। अपील संख्या 552/2024 में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2024 निरस्त किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)